राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ13/1/3/आरजीआई/वीएस/डीईएस/2017/154 दिनांकः 20.02.2025

संयुक्त निदेशक (UIDAI),
सूचना प्रौद्योगिकी एव संचार विभाग
आई. टी. भवन जयपुर।

विषयः– नये आधार कार्ड पंजीयन के दौरान जन्म प्रमाण पत्र में आधार संख्या प्रदर्शित नही करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि आमजन द्वारा उनके बच्चों का नया आधार पंजीयन जारी कराने पर आधार केन्द्रों द्वारा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता–पिता का पूर्ण आधार संख्या भी प्रदर्शित कराये जाने हेतु कहा जा रहा है, जिससे आमजन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त क्रम में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 27.06.2023, संयुक्त निदेशक (सीआरएस), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय का पत्र दिनांक 21.08.2023 एवं उपनिदेशक, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.12.2021 (प्रति संलग्न) में स्पष्ट रूप से आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 की उपधारा (4)(b)(ii) के प्रावधान अन्तर्गत रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु पंजीयन के समय स्वैच्छिक सहमति के आधार पर जन्म पंजीयन की स्थिति में बच्चे ,माता–पिता और सूचनादाता तथा मृत्यु पंजीयन कि स्थिति में माता–पिता, पति या पत्नि और सूचनादाता आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान प्रमाणित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

उपनिदेशक, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र द्वारा आधार संख्या प्रदर्शित नहीं किये जाने एवं जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आधार संख्या के अन्तिम चार (4) अंक प्रदर्शित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हुए है।

अतः अनुरोध है कि महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुक्रम में आमजन द्वारा बच्चे का आधार पंजीयन के समय जन्म प्रमाण पत्र में यदि माता या पिता के आधार संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है तो जन्म प्रमाण पत्र में आधार संख्या को प्रदर्शित नही करवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आधार केन्द्रों को जारी करने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ. सुदेश कुमार)
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

Signature valid

Digitally signed by Sudesh Kumar
Designation: Joint Director
Date: 2025.02.19 1?:23:03 IST
Reason: Approved

योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 13504855